

डा0 अजीज कुरैशी
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं
कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत
विश्वविद्यालय हरिद्वार।



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 3718 / जी0एस0 / C5-8 / शिक्षा / 2013
देहरादून दिनांक 16 जनवरी, 2013

आदेश

मैं, डा0 अजीज कुरैशी, कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, एतद्वारा, डा0 पंकज त्रिम्बक चान्दे को कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश सं0 3050 / जी0एस0 / C5-8 / शिक्षा / 2012 दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को निरस्त करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डा0 महावीर अग्रवाल, प्रोफेसर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

डा0 अजीज कुरैशी
कुलाधिपति।

संख्या 3718 (1) / जी0एस0 / C5-8 / शिक्षा / 2013 दिनांक : 16 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, संस्कृत विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. डा0 महावीर अग्रवाल, प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. डा0 पंकज त्रिम्बक चान्दे, 106, धरमपेट सोसाइटी लेआउट, जयप्रकाश नगर, नागपुर-440025.
7. कुलसचिव, कविकुलगुरुकालीदाससंस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)।
8. कार्यकारी कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
9. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
10. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

(अशोक)

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।